B.A - part - II

Paper - III (Indian political system)

Topic :- "Preamble"
(प्रस्तावना)

Dr. Dhananjay Jha.
Assistant professor
(Guest faculty/part time)
Deptt. of pol. science,
L.S. College, Mzp.
Mob. - 8210688019.

भारतीय संविधान की प्रस्तावना :⟹

संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान सभा (Constituent Assembly) तत्पर थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव' या 'उद्देश्य प्रस्ताव' (objective resolution) है जिसे उन्होंने 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव या वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को नवम्बर 1946 के मेरठ अधिवेशन में पारित कर लिया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय वर्तमान संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला कहा जा सकता है।

उद्देशिका या प्रस्तावना का अर्थ :⟹

न्यायाधिपति श्री सुब्बा राव के शब्दों में - "उद्देशिका या प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है।"

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, "उद्देशिका/प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है।"

(2) इसके का आशय यह है कि संविधान की रचना या निर्माण के समय निर्माताओं का क्या उद्देश्य था या वे किन उच्चादर्शों की स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे, इन सबको जानने का माध्यम उद्देशिका/प्रस्तावना ही होती है।

प्रस्तावना से जुड़े मुख्य बिन्दु : ⟹

⟹ यह भारत के लोगों के आदर्शों एवं आकांक्षाओं को दर्शाता हुए है।

⟹ प्रस्तावना की प्रकृति ऐसी है कि इसका प्रवर्तन न्यायालय में नहीं हो सकता। अर्थात् यह न्यायालय में अप्रवर्तनीय (Non-Justiciable) है।

⟹ यह संविधान के प्रावधान विशेषों का अतिक्रमण नहीं कर सकता

⟹ 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद (Case) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है।

⟹ संविधान का मूलभूत ढाँचा प्रस्तावना में अल्लिखित उद्देश्यों में निहित है।

⟹ प्रस्तावना का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत केवल कुछ शब्द जोड़कर ही किया जा सकता है।

⟹ प्रस्तावना का संशोधन अब तक केवल एक बार किया गया है।

⟹ 42वें संविधान संशोधन (1976) के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' तथा 'अखण्डता' ये तीन शब्द जोड़े गये हैं।

प्रस्तावना के तत्व

⟹ संविधान घोषित करता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को अंगीकृत (adopted), अधिनियमित (enacted) तथा आत्मार्पित (given to themselves) किया है।

⟹ अतः अब (भारत) देश की सम्प्रभुता (Sovereignty) अन्ततः (जनता) लोगों में ही स्थापित है।

⟹ यह लोगों के आदर्शों (ideals) व आकांक्षाओं (aspirations), जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है, को भी उद्घोषित करता है।

Scanned with CamScanner

(3) ⟹ आदर्श (Ideals), आकांक्षाओं (Aspirations) से भिन्न हैं। संविधान द्वारा भारत को एक "सम्प्रभुता सम्पन्न' समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" के रूप में घोषित करने से आदर्शों को तो प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु आकांक्षाओं के अन्तर्गत समानता, स्वतंत्रता, बन्धुता व न्याय आते हैं, जिन्हें अभी भी प्राप्त किया जाना बाकि है।

⟹ आदर्श, आकांक्षाओं (Aspirations) की प्राप्ति के साधन हैं।

Scanned with CamScanner